

(रक्षा उत्पादन विभाग)

(वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर, 2013

का.नि.आ. 77.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय समूह 'ख' और समूह 'ग' (अनुसचिवीय पद) भर्ती नियम, 2006 को, उन बातों के सिवाए अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है; रक्षा मंत्रालय, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय में समूह 'ग' अराजपत्रित (अनुसचिवीय पद) पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.**—ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसके वेतनमान वह होगा, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो ऊपर अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति, —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. अपर श्रेणी लिपिक	44* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु. ग्रेड वेतन 2400 रु.	अचयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

(10)	(11)
प्रोन्नति	<p>(i) 75 प्रतिशत ज्येष्ठता-सह-फिटनेस के आधार पर अवर श्रेणी लिपिक जिन्होंने वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु. धन ग्रेड वेतन 1900 रु. में नियमित आधार पर आठ वर्ष की सेवा की है;</p> <p>(ii) 25 प्रतिशत सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर ऐसे अवर श्रेणी लिपिक जिन्होंने वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु. धन ग्रेड वेतन 1900 रु. में नियमित आधार पर पांच वर्ष की सेवा की है।</p> <p>टिप्पण 1 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से जिसको छोटे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त अयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा।</p> <p>टिप्पण 2 : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) :—	लागू नहीं होता।
1. उप महानिदेशक, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय —अध्यक्ष	
2. कमान अधिकारी, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन विंग (आर्मामेंट) खमारिया —सदस्य	
3. किसी अन्य रक्षा स्थापन से प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी के रैंक का या समतुल्य रैंक का एक अधिकारी —सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. अवर श्रेणी लिपिक	39* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसूचित	वेतन बैंड-1, 5200— 20200 रु. ग्रेड वेतन 1900 रु.	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।
<p>टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।</p> <p>टिप्पण 2: रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।</p>					
(7)			(8)		(9)
(i) 12वीं कक्षा उत्तीर्ण किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से समतुल्य उत्तीर्ण			हां, स्तंभ (10) में उपदर्शित सीमा तक		दो वर्ष
(ii) कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट और हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति।					
(10)			(11)		
(i) 85 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।			लागू नहीं होता		
(ii) 10 प्रतिशत रिक्तियां 1800 रु. ग्रेड वेतन में समूह 'ग' कर्मचारीवृंद में से भरी जाएंगी जो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण है या समतुल्य अर्हता रखते हैं और जिन्होंने विभागीय अर्हक परीक्षा के आधार पर उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है। परीक्षा में पात्रता के					

(10)

लिए अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए 50 वर्ष) है।

टिप्पण : यदि पूर्वोक्त खंड (ii) के अधीन उपलब्ध रिक्तियों से अधिक कर्मचारी उक्त परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं तो ऐसे अधिक कर्मचारियों पर बाद के वर्षों में उद्भूत होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जाएगा जिससे पूर्ववर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कर्मचारियों पर पश्चात्पूर्वी वर्षों में परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कर्मचारियों से पहले विचार किया जा सके।

(iii) 5 प्रतिशत रिक्तियां ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर उन समूह 'ग' कर्मचारियों से भरी जाएंगी जिन्होंने उस पद पर 1800 रु. ग्रेड वेतन में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है।

(12)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति एवं नियमित के लिए) :—

1. उप महानिदेशक, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय —अध्यक्ष
2. कमान अधिकारी, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन विंग (आर्मामेंट) खमारिया —सदस्य
3. किसी अन्य रक्षा स्थापन से प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी के रैंक का या समतुल्य रैंक का एक अधिकारी —सदस्य

(13)

लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. आशुलिपिक ग्रेड-II	10* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु. ग्रेड वेतन 2400 रु.	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान

(6)

और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।
टिप्पण 2: रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(7)	(8)	(9)
(i) 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से समतुल्य उत्तीर्ण	लागू नहीं होता	दो वर्ष
(ii) कौशल परीक्षण मानक डिक्टेसन : 10 मिनट में 80 शब्द प्रति मिनट ट्रांसक्रिप्शन : कम्प्यूटर पर अंग्रेजी के लिए 50 मिनट और हिन्दी के लिए 65 मिनट।		
(10)	(11)	
सीधी भर्ती	लागू नहीं होता	
(12)	(13)	
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (नियमित के लिए) :—	लागू नहीं होता।	
1. उप महानिदेशक, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय —अध्यक्ष		
2. कमान अधिकारी, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन विंग (आर्मामेंट) खमारिया —सदस्य		
3. किसी अन्य रक्षा स्थापन से प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी के रैंक का या समतुल्य रैंक का एक अधिकारी —सदस्य		

[मिसिल सं. 2523/आर आर(ग्रुप 'ग')/वै.गु.आ.मनि./प्रशासन-II/डी (एच ए एल)]

इन्द्रजीत सेठी, अवर सचिव

(Department of Defence Production)

(DIRECTORATE GENERAL OF AERONAUTICAL QUALITY ASSURANCE)

New Delhi, the 28th October, 2013

S.R.O. 77.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate General of Aeronautical Quality Assurance, Department of Defence Production, Ministry of Defence, Group 'B' and 'C' (Ministerial Posts) Recruitment Rules, 2006, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment of Group 'C' Non-Gazetted (Ministerial Posts) in the Ministry of Defence, Directorate General of Aeronautical Quality Assurance, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Aeronautical Quality Assurance (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts mentioned under column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.**—The number of the said posts, their classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other related matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification.**—Any person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall not be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and grade pay or pay scale	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruitment
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Upper Division Clerk	44* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-1, ₹ 5200—20200 plus Grade Pay of ₹ 2400	Non-selection	Not applicable
Educational and other qualifications required for direct recruits			Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitments will apply in the case of promotees		Period of probation, if any
(7)			(8)		(9)
Not applicable			Not applicable		Not applicable

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of posts to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made

(10)	(11)
Promotion	<p>(i) 75% by promotion on the basis of seniority-cum-fitness from Lower Division Clerks in the Pay Band-1, ₹ 5200—20200 plus Grade Pay of ₹ 1900 and with 8 years regular service in the grade;</p> <p>(ii) 25% through Limited Department Competitive Examination from Lower Division Clerks in the Pay Band-1, ₹ 5200—20200 plus Grade Pay of ₹ 1900 and five years regular service in the grade.</p> <p>Note 1 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission.</p>

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its Composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(12)	(13)
<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) :—</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Deputy Director General, Directorate General of Aeronautical Quality Assurance —Chairman 2. Commanding Officer, Aeronautical Quality Assurance Wing (Armament), Khamaria —Member 3. One Officer of the rank of Principal Scientific Officer or equivalent from any other Defence establishment —Member 	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Lower Division Clerk	39* (2013) *Subject to variation dependent upon workload.	General Central Services, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-1, ₹ 5200—20200 plus Grade Pay of ₹ 1900	Not applicable	Between 18 to 27 years (Relaxable for Government servants up to the age of forty years in the case of general candidates and up to forty-five

(6)

years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).

Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Note 2: In case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

(7)	(8)	(9)
(i) 12th Class pass or equivalent qualification from a recognised Board or University. (ii) A typing speed of 35 words per minute in English or 30 words per minute in Hindi on computer.	Yes, to the extent indicated in column (10).	Two years

(10)	(11)
(i) 85 percent by direct recruitment. (ii) 10 per cent of vacancies shall be filled from amongst the Group 'C' staff in the grade pay of ₹ 1800 and who possess 12th class pass or equivalent qualification and have rendered three years regular service in the grade, on the basis of departmental qualifying examination. The maximum age limit for eligibility for examination is 45 years (50 years of age for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes). Note: (i) If more of such employees than the number of vacancies available under clause (ii) above qualify at the said examination, such excess number of employees shall be	Not applicable

(10)

considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination.

(iii) 5 per cent of the vacancies shall be filled up by promotion on seniority-cum-fitness basis from Group 'C' employees who have three years regular service in the posts with the grade pay of ₹ 1800.

(12)

Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation) :—

1. Deputy Director General, Directorate General of Aeronautical Quality Assurance —Chairman
2. Commanding Officer, Aeronautical Quality Assurance Wing (Armament), Khamaria —Member
3. One Officer of the rank of Principal Scientific Officer or equivalent from any other Defence establishment —Member

(13)

Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Stenographer Grade-II	10* (2013) *Subject to variation dependent upon workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-1, ₹ 5200— 20200 plus Grade Pay of ₹ 2400	Not applicable	Between 18 to 27 years (Relaxable for Government servants up to the age of forty years in the case of general candidates and up to forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangri sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(6)		
Note 2: In case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.		
(7)	(8)	(9)
(i) 12th Class pass or its equivalent from a recognised Board or University; (ii) Skill Test Norms. Dictation : 10 minutes @ 80 words per minute. Transcription : 50 minutes for English and 65 minutes for Hindi on computer.	Not applicable	Two years
(10)	(11)	
Direct recruitment	Not applicable	
(12)	(13)	
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) :— 1. Deputy Director General, Directorate General of Aeronautical Quality Assurance —Chairman 2. Commanding Officer, Aeronautical Quality Assurance Wing (Armament), Khamaria —Member 3. One Officer of the rank of Principal Scientific Officer or equivalent from any other Defence establishment —Member	Not applicable.	

[F.No. 2523/RRs (Gp 'C')/DGAQA/Adm-II/D(HAL)]

INDERJEET SETHI, Under Secy.

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2013

का.नि.आ. 78.—केन्द्रीय सरकार, तटरक्षक अधिनियम, 1978 (1978 का 30) की धारा 123 की उप-धारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 4 में का.नि.आ. सं. 236, तारीख 17 सितम्बर, 1982 द्वारा प्रकाशित तटरक्षक आफिसर सामान्य ड्यूटी शाखा (पायलट/नेवीगेटर) भर्ती नियम, 1982, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 4 में का.नि.आ. सं. 35 तारीख 11 मार्च, 2008 द्वारा प्रकाशित सहायक कमांडेंट पायलट/व्यावसायिक पायलट लाइसेंस — अल्प सेवा भर्ती नियम, 2008 और भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 4 में का.नि.आ. सं. 34 तारीख 13 नवम्बर, 2009 द्वारा प्रकाशित सहायक कमांडेंट महिला (सामान्य ड्यूटी — अल्प सेवा भर्ती नियम, 2009) को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, तटरक्षक संगठन में सामान्य ड्यूटी शाखा आफिसरों के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, तटरक्षक जनरल ड्यूटी आफिसर, भर्ती नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

(वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2017

का.नि.आ. 20.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2013 के संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2013, में:-

1. नियम 3 में, "वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान" दोनों स्थानों में जहां वह आते हैं शब्दों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर" शब्द रखे जाएंगे;

2. अनुसूची में:-

(क) अपर श्रेणी लिपिक के पद से संबंधित स्तम्भ(4) में,-

(i) शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्:-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर";

(ii) प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रु.) में स्तर-4";

(ख) उच्च श्रेणी लिपिक के पद से संबंधित स्तम्भ (11) में,-

(i) मद (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्:-

(i) "वेतन मैट्रिक्स (19900-63200 रु.) के स्तर-2 में, अपर श्रेणी लिपिक जिन्होंने ग्रेड में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो, में से ज्येष्ठता सह योग्यता के आधार पर 75 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा";

(ii) मद (ii) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्:-

(ii) "वेतन मैट्रिक्स (19900-63200 रु.) के स्तर 2 में अपर श्रेणी लिपिक जिन्होंने ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हों, में से 25 प्रतिशत सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा";

(ग) अपर श्रेणी लिपिक के पद से संबंधित स्तम्भ (4) में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"वेतन मैट्रिक्स (19900-63200 रु.) में स्तर-2";

(घ) अपर श्रेणी लिपिक के पद से संबंधित स्तम्भ (10) में,-

(i) मद (ii) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी,-

(ii) "10 प्रतिशत रिक्तियाँ वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 में समूह 'ग' कर्मचारीवृद्ध में से भरा जाएगा और जिनके पास बारहवीं उत्तीर्ण या समतुल्य अर्हता है और जिन्होंने विभागीय अर्हक परीक्षा के आधार पर ग्रेड में तीन वर्ष नियमित सेवा की है। परीक्षा के लिए आयु की अधिकतम सीमा 45 वर्ष है(अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए 50 वर्ष की आयु);

(ii) मद (iii) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्:-

(iii) "5 प्रतिशत रिक्तियाँ, समूह 'ग' के कर्मचारी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स (18000-56900रु) के स्तर-1 में पद पर तीन वर्ष नियमित सेवा की है, में से वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा भरी जाएंगी";

- (इ) आशुलिपिक ग्रेड-II के पद संबंधित स्तम्भ-4 में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-
"वेतन मैट्रिक्स (25500-81100रु) में स्तर-4"।

[फा. सं. 2523/आर.आर(समूह'ग')वै.गु.आ.मनि/प्रशा-II/डी(एचएएल)]

इन्द्रजीत सेठी, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम, अधिसूचना संख्यांक का.नि.आ.77, तारीख 28 अक्टूबर, 2013 द्वारा भारत के राजपत्र भाग-2, खण्ड-4 में तारीख 30 नवम्बर, 2013 को प्रकाशित हुए थे।

(DIRECTORATE GENERAL OF AERONAUTICAL QUALITY ASSURANCE)

New Delhi, the 15th March, 2017

S.R.O. 20.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Aeronautical Quality Assurance(Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2013,namely:-\

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Aeronautical Quality Assurance (Group 'C' posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Aeronautical Quality Assurance (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2013.-

(1) in rule 3, for the words "pay band and grade pay or pay scale" in both the places where they occur, the words "the level in the pay matrix" shall be substituted;

(2) in the schedule,-

(a) in column (4), relating to the post of Upper Division Clerk,-

(i) for the heading, the following heading shall be substituted, namely :-

"Level in the pay matrix";

(ii) for the entries, the following entries shall be substituted, namely :-

"Level 4 in the pay matrix (Rs 25500-81100)";

(b) in column (11), relating to the post of Upper Division Clerk,-

(i) for item (i), the following item shall be substituted, namely:-

(i) "75% by promotion on the basis of seniority-cum-fitness from Lower Division Clerks in Level 2 (Rs 19900-63200) in the Pay Matrix, with eight years regular service in the grade";

(ii) for item (ii), the following item shall be substituted, namely:-

(ii) "25% through Limited Departmental Competitive Examination from Lower Division Clerks in Level 2 (Rs 19900-63200) in the Pay Matrix, with five years regular service in the grade";

(c) in column (4), relating to the post of Lower Division Clerk for the entries, the following entries shall be substituted, namely,-

"Level 2 in the Pay Matrix (Rs 19900-63200)";

(d) in column (10), relating to the post of Lower Division Clerk,-

(i) for item (ii), the following item shall be substituted, namely :-

(ii) "10 percent of vacancies shall be filled from amongst the Group 'C' staff in Level 1 in the Pay Matrix and who possess 12th class pass or equivalent qualification and have rendered three years regular service in the grade, on the basis of departmental qualifying examination. The maximum age limit for eligibility for examination is 45 years (50 years of age for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes)."

(ii) for item (iii), the following item shall be substituted, namely :-

(iii) "5 percent of the vacancies shall be filled up by promotion on seniority-cum-fitness basis from Group 'C' employees who have three years regular service in the posts in level 1 (Rs 18000-56900) in the pay matrix.";

(e) in column (4), relating to the post of Stenographer Grade-II, for the entries, the following entries shall be substituted, namely :-

"Level 4 in the Pay Matrix (Rs 25500-81100)".

[F. No. 2523/RR(Gp'C')/DGAQA/Adm-II/D(HAL)]

INDERJEET SETHI, Under Secy.

Note : The Principal rules were published in the Gazette of India, part II, Section 4, dated 30th Nov, 2013 vide notification number S.R.O. 77 dated 28 Oct 2013.

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2017

का.नि.आ. 21.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबंध द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय आयुध निर्माणी वरिष्ठ डाटा एंट्री आपरेटर, फोटोग्राफर एवं रसोइया समूह "ग" अनौद्योगिक पद (भर्ती और सेवा शर्तें) नियम, 2006 को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, आयुध निर्माणी बोर्ड मुख्यालय स्थापना को छोड़कर आयुध एवं आयुध उपस्कर निर्माणियों तथा आयुध निर्माणी संगठन के अंतर्गत अन्य कार्यालयों एवं स्थापनाओं में वरिष्ठ डाटा एंट्री आपरेटर, फोटोग्राफर एवं रसोइया के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करते हुए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, यथा -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों को भारतीय आयुध निर्माणियां, वरिष्ठ डाटा एंट्री आपरेटर, फोटोग्राफर एवं रसोइया (समूह "ग" अनौद्योगिक पद) भर्ती नियम, 2017 कहा जाए।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. लागू होना.—ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कॉलम(1) में विनिर्दिष्ट पदों हेतु लागू होंगे।

3. पद संख्या, उनका वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनके वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वही होंगे जो उक्त अनुसूची के कॉलम (2) से (4) तक में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से कॉलम (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. अनर्हता.—वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:-

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विषय ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके वह इन नियमों के किसी उपबंध से किसी वर्ग या वर्ग के व्यक्तियों के बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।